भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 942
दिनांक 05 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 का कार्यान्वयन

942. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण (एनएमडी) नीति, 2023 को कार्यान्वित करने के लिए उपाय किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या एनएमडी नीति में निर्धारित आयात निर्भरता को सत्तर प्रतिशत तक कम करने के लिए कोई कार्यनीति तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त उद्दिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए गए वित्तीय आवंटन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के विकास को सुगम बनाना और छह प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतियों के एक समूह के माध्यम से इसके विकास का मार्गदर्शन करना है, अर्थात विनियामक सुव्यवस्थितीकरण, सक्षम अवसंरचना, अनुसंधान और विकास और नवाचार को सुविधाजनक बनाना, क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना, मानव संसाधन विकास, और ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता सृजन। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 के अन्तर्गत परिकल्पित रणनीतियों के कार्यान्वयन के लिए, औषध विभाग घरेलू चिकित्सा उपकरण विनिर्माण के संवर्धन के लिए कई केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को लागू कर रहा है, इसके अलावा सरकार के भीतर हितधारकों और साथ ही उद्योग और शिक्षा जगत के साथ मिलकर काम कर रहा है। हितधारक विभागों/मंत्रालयों के साथ-साथ केंद्रीय औषधि नियामक के साथ की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। इन उपायों के कारण, भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में तेज़ी से वृद्धि कर रहा है और चिकित्सा उपकरण का निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

(ख) और (ग): भारत सरकार ने आयात निर्भरता को कम करने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) *चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण के संवर्धन के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना :* इस योजना का बजटीय परिव्यय ₹3,420 करोड़ है और इसकी कार्यनिष्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन अवधि वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 तक पांच वर्षों की है। इस योजना के तहत, रेडियोथेरेपी, इमेजिंग डिवाइस, एनेस्थीसिया, कार्डियो-रेस्पिरेटरी और क्रिटिकल केयर और इम्प्लांट डिवाइस सेगमेंट में घरेलू स्तर पर विनिर्मित चिकित्सा उपकरणों की वृद्धिशील बिक्री के लिए चयनित कंपनियां पांच वर्षों की अवधि के लिए वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। सितंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, 22 ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं और 55 उत्पादों का उत्पादन शुरू हो चुका है, जिसमें उच्च-स्तरीय चिकित्सा उपकरण शामिल हैं, जिन पर देश अत्यधिक रूप से आयात पर निर्भर रहा है, जैसे कि लीनियर एक्सेलरेटर, एमआरआई और सीटी स्कैन के लिए मशीनें और मैमोग्राम, सी-आर्म एक्स-रे मशीन, एमआरआई कॉइल और अल्ट्रासाउंड मशीनें। सितंबर 2025 तक, इस योजना के तहत ₹12,344.37 करोड़ की संचयी पात्र बिक्री की गई है, जिसमें ₹5,869.36 करोड़ की निर्यात बिक्री शामिल है।

(ii) *चिकित्सा उपकरण पार्कों के संवर्धन की योजना* : इस योजना का लक्ष्य चिकित्सा उपकरण पार्कों में स्थापित चिकित्सा उपकरण इकाइयों को विश्व स्तरीय, साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं तक सुगम पहुंच प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश), उज्जैन (मध्य प्रदेश) और कांचीपुरम (तमिलनाडु) जिले में तीन पार्कों को मंजूरी प्रदान की गई है और वे विकास के उन्नत चरण में हैं। इनकी कुल परियोजना लागत ₹871.11 करोड़ है, जिसमें साझी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के लिए प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है, जिससे उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और संसाधनों के अनुकूलन तथा पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से उत्पादन लागत को कम करने की संभावना है। नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, तीन पार्कों के लिए कुल ₹300 करोड़ में से कुल ₹180 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। तीनों पार्कों के लिए सिविल निर्माण कार्य अंतिम चरणों में है। सितंबर 2025 की स्थिति के अनुसार, 194 चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं को तीन पार्कों में 298.58 एकड़ क्षेत्र में भूमि आवंटित की गई है और 34 इकाइयों ने अपने संयंत्रों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।

(iii) *चिकित्सा उपकरण उद्योग के सुदृढ़ीकरण की योजना:* यह योजना दिनांक 08.11.2024 को ₹500 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ शुरू की गई है। इसका उद्देश्य प्रमुख घटकों और सहायक सामग्रियों के विनिर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययनों के लिए सहायता, साझी अवसंरचना के विकास और उद्योग संवर्धन सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहायता प्रदान करके चिकित्सा उपकरण उद्योग का सुदृढ़ीकरण करना है और इसमें निम्नलिखित उप-योजनाएँ शामिल हैं:

(1) चिकित्सा उपकरण क्लस्टरों के लिए साझी सुविधाएं;
(2) आयात निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना;
(3) चिकित्सा उपकरणों के लिए क्षमता निर्माण और कौशल विकास;
(4) चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना; और
(5) चिकित्सा उपकरण प्रोत्साहन योजना।

*****